

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31/05/2021

एम.ई. / स्था. / राज. / 4 / 2021

// विज्ञप्ति //

न्यायपालिका, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 2156-61/स्था/राज/2010 भोपाल, दिनांक 20.08.2010 द्वारा
जूनियर रेसीडेंट के पदों को वॉक इन इंटरव्यू द्वारा भरने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः संस्था में रिक्त पदों का विवरण एवं पदों को भरने हेतु निर्धारित योग्यता एवं शर्तें मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा
विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-42/7/1/55 दिनांक 28.08.2007 के अनुसार है।

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के सभागृह में दिनांक 15.06.2021 को प्रातः 10.00 बजे मूल दस्तावेजों की छानबीन एवं
तत्पश्चात् साक्षात्कार 1:00 बजे से आयोजित किये जायेंगे। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु उम्मीदवार एवं आरक्षित श्रेणी अ.जा.
/अ.ज.जा./अ.पि.व. के आवेदकों को रुपये 500/- एवं अनारक्षित रूपयें 1000/- लेखा शाखा में निर्धारित शुल्क जमा कर,
सम्पूर्ण दस्तावेज एवं भरा हुआ आवेदन पत्र आवक शाखा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 11.06.2021 सांय 05:00 बजे
तक आवश्यक रूप से स्वयः अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा जमा करावे। इसके उपरान्त आने वाले आवेदनों पर किसी भी प्रकार का
विचार नहीं किया जावेगा। प्रत्याशी को स्वयः दस्तावेज छानबीन समिति के समक्ष अपने मूल दस्तावेजों के साथ 15.06.2021
प्रातः 10:00 बजे गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के सभागृह में उपस्थित रहना होगा।

छानबीन समिति द्वारा अपात्र किये जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। उम्मीदवारों किसी भी बदलाव के
लिए अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

जूनियर रेसीडेंट (रिक्त पदों की जानकारी)

S.No.	Subject	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	कुल
1.	C.T. Surgery	01	01	00	00	02
2.	Dermatology	00	00	01	00	01
3.	Gastroentology	01	01	01	00	03
4.	Nephrology	01	01	00	00	02
5.	Psychiatry	01	00	00	00	01
6.	Urology	01	00	00	00	01
	Total	05	03	02	00	10

उपरोक्त चिन्हित पदों में अ.जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. = अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. = अन्य पिछड़ा वर्ग,
से उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

नोट:- किसी भी विषय में चयन उपरान्त सीनियर रेसिडेन्ट आगामी एक वर्ष तक आवेदन दिये जाने हेतु पात्र नहीं होगा।

जूनियर रेसीडेंट -45000/- (निर्वाहन भत्ता) अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

जूनियर रेसीडेंट

1. एम.बी.बी.एस पास कर इंटरनशिप पूर्ण कर ली हो।

2. चिकित्सको की इंटरनशिप साक्षात्कार के दिनांक से पिछले तीन वर्ष में पूर्ण हुई हो इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु
पात्र नहीं होंगे।

3. म.प्र. मेडिकल कौंसिल में पंजीयन प्रमाण पत्र।

अवधि- उक्त सभी पदों हेतु प्रथम नियुक्ति एक वर्ष होगी जिसका अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष हो सकता
है। नियमानुसार एक वर्ष पूर्ण होने पर दो दिन का अंतराल पश्चात् अवधि में वृद्धि की जावेगी साथ
ही विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन एवं वर्क रिपोर्ट संतोष जनक पाये जाने पर वृद्धि कि जावेगी।

मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2-42/07/1/55 भोपाल दिनांक 23.07.2007 के
अनुसार आरक्षित वर्ग के चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने पर सीटे अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व. एवं अनारक्षित श्रेणी के क्रम से
उपलब्ध चिकित्सको से भरी जा सकेगी।

अन्य शर्तें

- साक्षात्कार में भाग लेने हेतु उम्मीदवार अनारक्षित /अ.जा./ अ.ज.जा/ अ.पि.व. श्रेणियों में आवेदन कर सकेंगे।
आरक्षित श्रेणी आवेदकों को रुपये 500/- एवं अनारक्षित श्रेणी आवेदकों को रूपयें 1000/- आवेदन शुल्क भरना
अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग का चिकित्सक यदि अनारक्षित वर्ग के पद पर आवेदन करता है तो उसे

अनारक्षित वर्ग के पद की शूल्क राशि जमा करनी होगी।

आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के खाते में IMPS/NEFT / बैंक ड्राफ्ट द्वारा Account Name:-

CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal. Bank Name:- State Bank of India Account No:-

10625211248 IFSC Code: SBIN0010140 में जमा कराना होगा। शुल्क संचालन की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।

2. इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त सभी व्यक्ति मध्य प्रदेश, सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के द्वारा शासित होगा।
3. इन नियमों के अंतर्गत दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की नोटिस अथवा इसके बदले एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
4. सेवारत उम्मीदवारों को आवेदन पत्र उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा। विभाग द्वारा आवेदन अग्रेषित नहीं होने पर सेवारत उम्मीदवार के प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा। सेवारत उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय अपने विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
5. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध के स्थाई प्रमाणपत्र (तत्सम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - (I) आयु के संबंध में हाईस्कूल/हायर सेकेन्डी परीक्षा प्रमाणपत्र/ अधिकतम आयु एम.सी.आई. मापदण्डानुसार 45 वर्ष होगी।
 - (II) एम.बी.बी.एस. परीक्षा संबंधी प्रत्येक वर्ष की अंकसूची।
 - (III) एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. /डी.एन.बी/डिप्लोमा
 - (IV) स्नातकोत्तर उपाधि पश्चात अनुभव प्रमाणपत्र (यदि हो)।
 - (IV) स्नातकोत्तर उपाधि संबंधी अभि प्रमाणित प्रमाणपत्र (यदि हो)।
6. म.प्र. मेडिकल कौंसिल में सभी मेडिकल डिग्रियों के पंजीयन प्रमाण पत्र। मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर के एम. सी.आई. से ऐफिलेसन होने तक छूट प्रदान की गई।
7. पब्लिकेशन संबंधी प्रमाणपत्र एवं प्रेसेन्टेशन (ओरल/पोस्टर) की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। (मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना)
8. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। म.प्र. शासकीय, स्वशासी चि.म. वि. के आवेदको को मूल प्रमाण पत्र अधिष्ठाता के पास जमा होने पर अधिष्ठाता द्वारा दिया गया इन अभिलेखों का जमा होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
9. उम्मीदवार को एम.डी/एम.एस. होने का attempt certificate परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 15 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
10. ओ.बी.सी. उम्मीदवार को तहसीलदार/तत्सम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वर्तमान आय प्रमाण पत्र।
11. चयन के लिए गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये विद्यार्थियों को यथा संभव पहली प्राथमिकता दी जावेगी एवं दूसरी प्राथमिकता म. प्र. के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये चिकित्सक को दी जावेगी।
12. प्रत्याशी अगर म. प्र. शासन के अंतर्गत ग्रामीण सेवा का अनुबंधित हो तो उस पर म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25.8.2010 के अनुसार ग्रामीण सेवा संबंधी नियम लागू होगा। चयन होने पर उम्मीदवार को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।
13. प्रस्तुत साक्षात्कार हेतु किसी भी बदलाव के लिए अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित।

1. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. भोपाल
2. नोटिस बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, कमला नेहरू चिकित्सालय, हमीदिया चिकित्सालय, होस्टल ब्लॉक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी
3. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की Website पर।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

आवेदन पत्र का प्रारूप
गांधी मेडिकल कालेज स्वशासी समिति, भोपाल (मध्यप्रदेश)

जूनियर रेसीडेंट

के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष - 2019

विज्ञापन क्रमांक

अंतिम तिथि

विषय



नोट - सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे ।

1. बैंक ड्रॉपट क्रमांक..... दिनांक..... राशि.....

बैंक का नाम

2. आवेदक का नाम श्री/श्रीमती/कु./डॉ.....

3. आवेदक का (लिंग)..... पुरुष/महिला.....

4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....

5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)

दूरभाष क्रमांक..... मोबाइल क्रमांक.....

6. स्थाई पता

दूरभाष क्रमांक..... मोबाइल क्रमांक.....

7. जन्मतिथि (हाई स्कूल/हायर सेकेंड्री परीक्षा को अकसूची संलग्न करें)

8. अंतिम तिथि को आवेदक की आयु..... दिन..... माह..... वर्ष.....

9. क्या आप म. प्र. के मूल निवासी हैं - हाँ/नहीं.....

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. निवास स्थान की जानकारी - शहर..... जिला..... राज्य.....

11. डॉ. डेटेड/रेसीडेंट है/ अथवा नहीं।

12. क्या आप डॉ. विद्यार्थी शाखा (कक्षा/निदेशक महाविद्यालय भोपाल) में जमा है तो प्रमाणपत्र संलग्न करें।

13. जाति - अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति.....

14. अनारक्षित सभी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र संलग्न करें

15. आवेदन पत्र का राष्ट्रीय क्रमांक.....

16. आवेदन पत्र का स्थानीय क्रमांक.....

17. आवेदन पत्र का जारी करने की तिथि.....

शैक्षणिक योग्यताएँ :- (प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

16. व्यावसायिक अनुभव :-

क्र.	पदनाम	संस्था का नाम	दिनांक से	दिनांक तक	अशैक्षणिक/ शैक्षणिक	अवधि
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

17. सेवारत है, तो नियोक्ता का नाम, पद, स्थान
(अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

18. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची

स्थान:

दिनांक:

दिनांक:

आवेदक का पूरा नाम:

वचन पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा। मुझ पर चिकित्सा महाविद्यालय के संवर्धन एवं संविलिपन तथा भर्ती नियम पूर्ण रूप से लागू रहेंगे। इन नियमों में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

.....

आवेदक का पूरा नाम:

एम0बी0बी0एस0 उतीर्ण कर लिया हो।

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमोंक डी-950/715/2012/1/55 दिनांक 23.03.2010 उक्त चिकित्सकों की इंटरनशिप साक्षात्कार के दिनांक से पिछले तीन वर्ष में पूर्ण हुई हो। इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

3. प्रत्याशी अगर म. प्र. शासन के अंतर्गत ग्रामीण सेवा का अनुबंधित हो तो उस पर म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश व. एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25.8.10 के अनुसार ग्रामीण सेवा संबंधी नियम लागू होगा। चयन होने पर उम्मीदवार को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।
3. निजि प्रैक्टिस की पानता नहीं होगी।
4. वे चिकित्सक जो डिग्री या प्रोवीजनली रजिस्ट्रेशन नहीं लगायेंगे या किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन की रसीद नहीं लायेंगे उनके आवेदनो पर विचार नहीं किया जावेगा।

अवधि - उक्त सभी पदों हेतु प्रथम नियुक्ति एक वर्ष होगी जिसका अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष हो सकता है।

आरक्षित वर्ग के चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने पर सीटें अ.ज.जा., अ.जा., अ.पि.व. एवं सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अन्य शर्तें

1. आवेदन शुल्क - सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ रु. 500/- एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को रु. 250/- का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशास्त्री समिति, भोपाल के नाम भेजना अनिवार्य होगा। इस पैसे भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
2. इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त सभी व्यक्ति म. प्र. सिविल सेवा (आवरण) नियम 1965 के द्वारा शासित होगा।
3. इन नियमों के अंतर्गत दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की नोटिस अथवा इच्छा बदले एक माह का वेतन देकर किसी भी समय संधर्ष समाप्त का जा सकेगी।
4. सरकार उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन की मूल प्रति सीधे इस कार्यालय को भेजित कर सकते हैं। आवेदन की छायाप्रति को चिकित्सा विभाग के माध्यम से प्रेषित की जाना आवश्यक है। चयन द्वारा आवेदन अप्रैपित नहीं करने के संकेतित उम्मीदवार के पकरण पर विचार करना प्रोचिदकरना। आरक्षित उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय आरक्षित विभाग की उम्मीदवारों के नामों के अनुसार कार्य प्रस्तुत करना होगा। चयन प्रक्रिया प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से हटा दिया जायेगा।
5. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार क्लर्क अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता सत्यापन करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया लिखित प्रमाणपत्रों की आवश्यकता सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार क्लर्क अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार क्लर्क अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

3. मेडिकल कौंसिल में सभी मेडिकल डिग्रियों के पंजीयन प्रमाणपत्र।
4. पब्लिकेशन संबंधी प्रमाणपत्र । (साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना)।
6. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
7. परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं ।.किंतु साक्षात्कार के समय उन्हें उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. (F) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पदों को पुरुष उम्मीदवार से भरा जायेगा।
9. चयन के लिए उसी महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये विद्यार्थियों को यथासंभव पहली प्राथमिकता दी जावेगी एवं दूसरी प्राथमिकता म. प्र के किसी भी चिकित्सालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये चिकित्सक को दी जावेगी।

घोषणा पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में होने वाले सीनियर / जूनियर रेसिडेंट के पद के लिये साक्षात्कार में उपस्थित हुआ/हुई हूँ इसके अतिरिक्त मैं अन्य किसी शासकिय सेवाओं में कार्यरत नहीं हूँ अगर कार्यरत पाया जाता हूँ / जाती हूँ तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

दिनांक:-

आवेदक का नाम

हस्ताक्षर